न्यायालयः– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: लीलूराम सिहाग, आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या :: 146/2014

सी.आई.एस. संख्या :: 2552/2014

सी.एन.आर. नंबर :: RJBK08-000084-2014

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

(1) **रामचन्द्र** पुत्र धनराम, निवासी वार्ड नम्बर 25 नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर

(2) **प्रेमचन्द** पुत्र फूलचन्द बिश्नोई, निवासी वार्ड नम्बर 26 नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर

(3) **राकेश** पुत्र किशनलाल, निवासी बंधाला, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर

(4) **पवन कुमार** पुत्र हनुमानमल पंचारिया, निवासी वार्ड नम्बर 03 पंचारिया चौक नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर

(5) **सुरेश** पुत्र भंवरलाल बिश्नोई, निवासी वार्ड नम्बर 26 नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर **(मफरूर दिनांक 14.10.2025)**

(6) **विजयपाल** पुत्र जगदीश बिश्नोई, निवासी जयसिंहदेसर मगरा, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर **(मफरूर दिनांक 14.10.2025)**

(7) **माँगीलाल** पुत्र विशालाराम, निवासी साईंसर पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर **(मफरूर दिनांक 14.10.2025)**

–अभियुक्तगण

अपराध धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।

2– विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मपाल पूनिया – अभियुक्तगण रामचन्द्र व राकेश की ओर से।

3– विद्वान अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह राठौड़ – अभियुक्त प्रेमचन्द की ओर से।

4– विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा – अभियुक्त पवन कुमार की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 07.05.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.12.2013 को समय 04:20 पी.एम. पर परिवादी राजाराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नोखा में इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 19.12.2013 को शाम करीबन 07:00 बजे अपने भाई सुरजाराम के साथ कृषि मण्डी नोखा से ग्वार बेचकर नवलीगेट से वापिस रामदयाल सारण के घर जा रहा थे तो रास्ते में रेलवे फाटक के पास नानूराम मूण्ड के मकान के पास पहुँचे तो पीछे से एक बोलेरो गाड़ी बिना नम्बरी को उसकी गाड़ी के आगे देकर प्रेम, सुरेश, माँगीलाल, राकेश उर्फ रामचन्द्र व चार–पाँच अन्य ने उससे रूपये माँगे तथा मना

करने पर जबरदस्ती उसे गाड़ी से नीचे उतारकर उसके साथ मारपीट की व गाड़ी की टूल में रखे 92,400/- रूपये, सोने की चैन व मोबाईल जबरदस्ती छीन लिए तथा उसकी गाड़ी पिकअप नम्बर RJ 07 GB 4065 छीनकर ले गए, तब उसके द्वारा रोला करने पर पूनमचन्द व अन्य व्यक्ति आए .... इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नोखा, बीकानेर के द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 682/2013 अंतर्गत धारा 341, 323, 382, 143 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण प्रेमचन्द, राकेश, रामचन्द्र, सुरेश, पवन कुमार, विजयपाल व माँगीलाल के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.1 सुरजाराम, पी.ड.2 ओमप्रकाश, पी.ड.3 सुरेश शर्मा, पी.ड.4 हड़मान, पी.ड.5 राजाराम, पी.ड.6 मनीराम, पी.ड.7 लालनाथ सिद्ध, पी.ड.8 किरतनाथ एवं पी.ड.9 डॉ. सुनील बोथरा को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 सुरजाराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.2 ओमप्रकाश के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.3 घटनास्थल का नक्शामौका, प्रदर्श पी.4 राजाराम का चोट प्रतिवेदन पत्र एवं हनुमानराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.5 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी.6 चाक एफ.आई.आर. एवं प्रदर्श पी.7 मनीराम के पुलिस बयान को प्रदर्शित करवाया गया।

नोट - हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण सुरेश, विजयपाल एवं माँगीलाल को न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.10.2025 को मफरूर घोषित किया गया है, अतः इस प्रक्रम पर अन्य अभियुक्तगण रामचन्द्र, प्रेमचन्द, राकेश व पवन कुमार की हद तक ही प्रकरण का विनिश्चय किया जा रहा है।

4. अभियुक्तगण को बयान मुल्जिम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उन्होंने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना बताया व साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए एवं ना ही किसी दस्तावेजी साक्ष्य को पेश कर प्रदर्शित करवाया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः-

"आया अभियुक्तगण ने दिनांक 19.12.2013 को समय 07:00 पी.एम. पर अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में वाके रेलवे फाटक के पश्चिम में नानूराम मूण्ड के मकान के पास, नवली गेट नोखा, पुलिस थाना नोखा में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी राजाराम का सदोष अवरोध

कारित कर उसके साथ थाप–मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की एवं बल/हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?"
यदि हां तो अभियुक्तगण की उचित सजा क्या होगी?"

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हैं, अतः अभियुक्तगण को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया जावे, जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

7. न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 01 सुरजाराम, पी.डब्ल्यू 02 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू 04 हड़मान एवं पी.डब्ल्यू 06 मनीराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि करीब 10–11 साल पहले राजाराम के साथ किसी को मारपीट करते हुए या घटना कारित करते हुए नहीं देखा और ना ही सुना।

8. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू 03 सुरेश शर्मा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि वर्ष 2014 में एफ.आई.आर. नम्बर 682/2013 पुलिस थाना नोखा की तफ्तीश श्रीराम एस.आई. ने की, जिन्होंने राजाराम की आई.आर. प्रदर्श पी 01 शामिल पत्रावली की। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व हालातमौका प्रदर्श पी 3ए पर ए से बी राजाराम के हस्ताक्षर हैं। बाद तफ्तीश अभियुक्तगण प्रेमचंद, राकेश, रामचन्द्र, सुरेश, पवन कुमार, विजयपाल, माँगीलाल के विरूद्ध धारा 341, 323, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता में प्रमाणित मान पत्रावली उसके समक्ष पेश की एवं पत्रावली पर उपलब्ध संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

9. परिवादी **पी.डब्ल्यू 05 राजाराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि दिनांक 19.12.2013 को शाम को 07:00–07:15 बजे वह नवलीगेट से अपने साला के घर पिकअप गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी पीछे से बोलेरो गाड़ी बिना नम्बरी आयी और उसके आगे दे दी, उस गाड़ी से 6–7 आदमी सुरेश, प्रेम, रामचन्द्र, माँगीलाल, पवन शर्मा, सुशील, भंवरलाल, राकेश आदि उतरे और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर पैसे माँगे तथा उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर, मोरो और हाथ पर चोटें आई। प्रेम उसकी गाड़ी तथा गाड़ी में रखे 92,400/– रूपये छीनकर ले गया तथा रामचन्द्र ने उसकी शर्ट पकड़कर उसके गले से सोने की चैन छीन ली। मौका पर रोला सुनकर नानुराम और पूनमचंद आए। घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 तथा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

10. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू 07 लालनाथ सिद्व एवं पी.डब्ल्यू 08 किरतनाथ** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि दिनांक 19.12.2013 को राजूराम के साथ मारपीट की घटना में मुकदमा दर्ज होने पर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 पर ई से एफ व जी से एच उनके हस्ताक्षर हैं।

11. चिकित्सीय साक्षी **पी.डब्ल्यू 09 डॉ. सुनील कुमार बोथरा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि दिनांक 20.02.2013 को पुलिस प्रतिवेदन पर राजाराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया। सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्दालय हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब का पहचान चिह्न अंकित है।

12. **पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि परिवादी ने बढ़ा–चढ़ाकर के अभियुक्तगण के विरुद्ध यह मुकदमा झूठा ही दर्ज करवाया है और परिवादी के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने परिवादी के कथनों की ताईद नहीं की है। परिवादी द्वारा तथाकथित घटना के समय मौका पर उपस्थित रहे चक्षुदर्शी साक्षी परिवादी के भाई सुरजाराम ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की और परिवादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह मुकदमा केवल रूपये छीनने के लिए ही दर्ज करवाना स्वयं स्वीकार किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को भी परीक्षित नहीं करवाया है। अभियोजन कहानी के मुताबिक गवाह नानूराम एवं पूनमचन्द का घटनास्थल पर उपस्थित होना प्रकट हुआ है, लेकिन प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने इन दोनों गवाहान को साक्ष्य सूची में भी शामिल नहीं किया और ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से इन गवाहान को तलब कर परीक्षित करवाया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–**

1. "Rang Bahadur Singh V. State of U.P. reported in AIR 2000 SC 1209"
2. "S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh AIR 1996 SC 2184"
3. "K.P. Thimmappa Gowda v. State of Karnataka 2011 AIR SCW 2281"

13. **जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने बहस के जवाब में तर्क दिया कि परिवादी राजाराम ने अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर चोट कारित करना स्पष्ट रूप से बताया है और परिवादी के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने के तथ्यों की पुष्टि भी चिकित्सीय साक्षी डॉ. सुनील कुमार बोथरा के सशपथ कथन सहित मजरूब के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 से भी स्पष्ट रूप से होती है। श्री सुरेश शर्मा, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना, नोखा ने प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीराम एस.आई. की तफ्तीश के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट पेश करना स्पष्ट बताया है।**

14. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्षकारान द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्कों के संदर्भ में न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है कि परिवादी ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में दिनांक 19.12.2013 को शाम के करीब 07:00 बजे अपनी गाड़ी से अपने भाई सुरजाराम के साथ रामदयाल सारण के घर जाते समय रास्ता में अभियुक्तगण द्वारा उससे रूपये की माँग की और उसके द्वारा मना करने

पर उसके साथ मारपीट की और गाड़ी में रखे 92,400/- रूपये और उसके गले में से सोने की चैन और उसका मोबाईल तथा गाड़ी में लगी डेक जबरदस्ती छीन ली और बाद में उसकी पिकअप RJ 07 GB 4065 को छीनकर ले गए, तब उसके द्वारा रोला करने पर मौका पर पूनमचन्द व अन्य व्यक्ति का आना और सूचना पर पुलिस थाना के आदमी का भी घटनास्थल पर आने का तथ्य प्रकट हुआ है।

<u>15.</u> न्यायालय के मत में परिवादी राजाराम द्वारा लिखित रिपोर्ट में जो तथ्य प्रकट किए हैं, उस आधार पर परिवादी ने उसकी बोलेरो गाड़ी, नकद रूपये, गले की चैन, डेक, मोबाईल आदि सामान आरोपीगण द्वारा छीनकर ले जाना और उसके साथ मारपीट करना प्रकट किया, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी की गाड़ी, मोबाईल, डेक, नकद रूपये व सोने की चैन आदि को छीनकर ले जाकर आपराधिक कृत्य किया हो, इस बाबत् कोई अपराध प्रमाणित ही नहीं माना है। परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट में जो तथ्य प्रकट किए हैं, उसके समर्थन में बतौर गवाह भी लिखित रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए गवाह ने अभियुक्त प्रेम द्वारा गाड़ी छीनकर ले जाना और गाड़ी में रखे रूपये भी प्रेम द्वारा ले जाना बताया है और अभियुक्त रामचन्द्र द्वारा उसके गले से सोने की चैन छीनना और उसके द्वारा रोला करने पर मौका पर नानूराम व पूनमचन्द का आना बताया है, इस प्रकार परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में भी पूनमचन्द का मौका पर आना बताया, लेकिन नानूराम घटनास्थल पर उपस्थित आया हो, ऐसा कोई कथन नहीं किया।

<u>16.</u> इसके साथ-साथ पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पूनमचन्द तथा नानूराम को ना तो गवाहान सूची में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने सूचीबद्ध किया है और ना ही अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान भी इन गवाहान को तलब करवाकर न्यायालय में परीक्षित करवाया है। परिवादी के कथनानुसार घटना के समय उसकी गाड़ी में उसके भाई सुरजाराम का भी उपस्थित होना बताया, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से बतौर गवाह सुरजाराम ने परिवादी राजाराम के साथ किसी को मारपीट करते हुए ना तो देखना और ना ही इस तथ्य बाबत् कोई बात सुनना बताया है। गवाह सुरजाराम ने परिवादी के कथनों की ताईद नहीं की और यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में अपने पुलिस बयान होने से इनकार करते हुए किसी भी मुल्जिम को ना तो जानना और ना ही पहचानने का कथन किया, इस प्रकार परिवादी राजाराम ने लिखित रिपोर्ट में अपने भाई सुरजाराम का साथ होना बताया, लेकिन अपने सशपथ कथन में इस बाबत् कोई तथ्य प्रकट नहीं किया और परिवादी द्वारा किए गए कथनों की ताईद उसके भाई सुरजाराम ने भी नहीं की है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान ओमप्रकाश, हड़मान एवं मनीराम भी पक्षद्रोही हुए हैं और इन गवाहान ने भी परिवादी के कथनों की ताईद नहीं की है।

17. न्यायालय के मत में साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहान की कोई निश्चित संख्या विहित नहीं है और एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी प्रकरण में प्रकट तथ्यों को साबित हुआ माना जा सकता है, यदि गवाहान की साक्ष्य की सम्पुष्टि अन्य तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से भी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में परिवादी ने अपनी लिखित रिपोर्ट और सशपथ कथन में जो तथ्य प्रकट किए हैं, उस बाबत् प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्तगण द्वारा परिवादी की गाड़ी को छीनकर ले जाना, उसके रूपये लेना, परिवादी के गले में पहनी सोने की चैन छीनना और उसका मोबाईल व डेक ले जाने बाबत्, ऐसा कोई अपराध अनुसंधान अधिकारी ने प्रमाणित ही नहीं माना और परिवादी/मजरूब द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण ने मारपीट कर उपहति कारित की हो, इस तथ्य की ताईद अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी गवाहान ने नहीं की और परिवादी के कथनानुसार मौका पर उपस्थित रहे गवाह नानूराम और पूनमचन्द को भी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं करवाया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "Rang Bahadur Singh V. State of U.P. reported in AIR 2000 SC 1209" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

The time–tested rule is that acquittal of a guilty person should be preferred to conviction of an innocent person. Unless the prosecution establishes the guilt of the accused beyond reasonable doubt a conviction cannot be passed on the accused. A criminal court cannot afford to deprive liberty of the appellants, lifelong liberty, without having at least a reasonable level of certainty that the appellants were the real culprits.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh AIR 1996 SC 2184" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

one of the cardinal rules of interpretation in such cases is that a penal statute must be strictly construed. The courts have, thus, to be watchful to see that emotions or sentiments are not allowed to influence their judgment, one way or the other and that they do not ignore the golden thread passing through criminal jurisprudence that an accused is presumed to be innocent till proved guilty and that the guilt of an accused must be established beyond a reasonable doubt. They must carefully assess the evidence and not allow either suspicion or surmise or conjectures to state the place of proof in their zeal to stamp out the evil from the society while at the same time not adopting the easy course of letting technicalities or minor discrepancies in the evidence result in acquitting an accused. They must critically analyses the evidence and decide the case in a realistic manner.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "K.P. Thimmappa Gowda v. State of Karnataka 2011 AIR SCW 2281" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

in criminal cases, the rule is that the accused is entitled to the benefit of doubt. If the court is of the opinion that on the evidence two views are

reasonably possible, one that the appellant is guilty and the other that he is innocent, then the benefit of doubt goes in favour of the accused

इसके साथ–साथ परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियुक्तगण के विरुद्ध यह मुकदमा केवल रूपये छीनने के लिए करवाने का तथ्य स्वीकार किया और यह भी कथन किया कि यदि रूपये नहीं छीनते तो वह मुकदमा नहीं करवाता, इस प्रकार देखा जाए तो परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर उपहति कारित की हो, इस बाबत् मुकदमा दर्ज नहीं करवाकर रूपये छीनने बाबत् मुकदमा दर्ज करवाना बताया है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह राजाराम ने अपनी लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को बतौर साक्षी अपने सशपथ कथन में दोहराया है, लेकिन परिवादी द्वारा किए गए तथ्यों की पुष्टि ना तो प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने की है और ना ही इस बाबत् अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित गवाह परिवादी के भाई सुरजाराम ने की, जिस कारण अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित एकमात्र साक्षी परिवादी राजाराम द्वारा किए गए सशपथ कथन की सत्यता, विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता संदेहास्पद ही प्रकट है, जिस कारण अभियोजन कहानी किसी भी प्रक्रम पर विश्वास योग्य नहीं पाई गई है।

<u>18.</u> पत्रावली में परीक्षित गवाह लालनाथ सिद्व एवं किरतनाथ नक्शामौका के गवाह रहे हैं और इन गवाहान ने नक्शामौका तो अपने समक्ष बनाने का कथन किया, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं का घटना के समय मौका पर उपस्थित नहीं होना भी बताया है, इस प्रकार ये दोनों गवाह भी एक प्रकार से औपचारिक गवाह रहे हैं, जिनकी साक्ष्य का विवेचन करने का कोई विशेष महत्व नहीं है। अभियोजन साक्षी डॉ. सुनील कुमार बोथरा ने मजरूब राजाराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना करना और चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 के आधार पर मजरूब के कुल दो चोट साधारण प्रकृति की एवं कुन्दालय हथियार से कारित होना बताया है। न्यायालय के मत में हालांकि चिकित्सीय साक्षी डॉ. सुनील कुमार बोथरा ने मजरूब के शरीर पर चोट आना प्रकट किया और इसकी पुष्टि भी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 के आधार पर होती है, लेकिन चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य एवं मजरूब के चोट प्रतिवेदन से यह तथ्य स्वतः साबित नहीं होता कि मजरूब के यह चोट अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई हो।

<u>19.</u> अभियोजन पक्ष की ओर से हस्तगत प्रकरण में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्रीराम शर्मा एस.आई. की मृत्यु होने के कारण गवाह परीक्षित नहीं हुआ, लेकिन श्री सुरेश शर्मा, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना, नोखा ने श्रीराम एस.आई. द्वारा बाद तफ्तीश अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रमाणित मानना और उस आधार पर गवाह सुरेश शर्मा, थानाधिकारी पुलिस थाना नोखा द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करना बताया है। हालांकि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह श्रीराम शर्मा एस.आई. मृत्यु होने के कारण परीक्षित नहीं हुआ, लेकिन गवाह द्वारा की गई तफ्तीश के आधार पर श्री सुरेश शर्मा, थानाधिकारी पुलिस थाना, नोखा द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया है, जिस कारण प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट एवं सशपथ कथन में अंकित

तथ्य की पुष्टि यदि अन्य गवाहान की साक्ष्य से होती है तो प्रकरण हाजा में मात्र अनुसंधान अधिकारी के परीक्षित नहीं होने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना इस प्रक्रम पर प्रकट नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 और दौराने साक्ष्य जो कथन किए हैं, उसकी सम्पुष्टि किसी भी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर नहीं होने से अभियोजन कहानी किसी भी प्रक्रम पर विश्वास योग्य नहीं पाई गई है।

20. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.12.2013 को समय 07:00 पी.एम. पर अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में वाके रेलवे फाटक के पश्चिम में नानूराम मूण्ड के मकान के पास, नवली गेट नोखा, पुलिस थाना नोखा में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी राजाराम का सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ थाप–मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियाँ कारित की एवं बल/हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, अतः इस आधार पर अभियुक्तगण प्रेमचन्द, राकेश, रामचन्द्र व पवन कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: आदेश ::

21. फलतः अभियुक्तगण (1) **रामचन्द्र** पुत्र धनराम, निवासी वार्ड नम्बर 25 नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर, (2) **प्रेमचन्द** पुत्र फूलचन्द बिश्नोई, निवासी वार्ड नम्बर 26 नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर, (3) **राकेश** पुत्र किशनलाल, निवासी बंधाला, पुलिस थाना पांचू, जिला बीकानेर एवं (4) **पवन कुमार** पुत्र हनुमानमल पंचारिया, निवासी वार्ड नम्बर 03 पंचारिया चौक नोखा, पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर को **धारा 323, 341, 147 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत अपराध के आरोप में संदेह के आधार पर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

22. प्रकरण में अभियुक्तगण **सुरेश, विजयपाल एवं माँगीलाल मफरूर** हैं। अतः पत्रावली के शीर्ष पृष्ठ पर इस आशय का **लाल स्याही** से **नोट** अंकित किया जावे कि **पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं** किया जावे।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)

23. **निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।**

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)